2012:CGHC:8769-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>खंडपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा और माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा</u>

<u>दांडिक अपील संख्या 165/2007</u>

शत्रुघ्न यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>विचारार्थ निर्णय</u>

हस्ताक्षर/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति</u>: मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षर/-
सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

18-07-2012 के लिए सूचीबद्ध करें।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा और माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील संख्या 165/2007

अपीलार्थी: - शत्रुघ्न यादव, आत्मज हीरालाल यादव, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी गुरुवाइन डबरी, थाना लालपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) वर्तमान निवासी: पंचनाम सतनामी का मकान, रावणभाठा, थाना खमतराई, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रात्यर्थी - छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री सी.के. केशरवानी, अपीलार्थी के अधिवक्ता। श्री अखिल मिश्रा, राज्य/उत्तरवादी की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील

निर्णय

18 जुलाई, 2012 को सुनाया गया

राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया:

यह अपील नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 147/2006 में पारित निर्णय दिनांक 31-1-2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अभियुक्त/अपीलार्थी शत्रुघ्न यादव को

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सिद्धदोष पाया गया है और आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, जुर्माना न चुकाए जाने के व्यतिक्रम की स्थिति में, उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है:

22-12-2005 को, शाम लगभग 7 बजे, महोबा बाजार, हीरापुर रोड स्थित एन.ई.सी.सी. ट्रांसपोर्ट के पास दो साइकिल सवार आपस में झगड़ा और मारपीट कर रहे थे। उनमें से एक साइकिल सवार ने, जिसने बैंगनी रंग का स्वेटर और फुल-पेंट पहना था, दूसरे साइकिल सवार के सिर और चेहरे पर बट्टे से गंभीर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे साइकिल सवार की गिरकर मृत्यु हो गई। श्रीमती जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) की मौखिक रिपोर्ट पर, थाना आमानाका ने देहाती मर्ग सूचना (प्र.पी-1) दर्ज की और धारा 302 भा.दं.स के तहत बिना नंबर की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-2) पंजीकृत की। बाद में थाना आमानाका द्वारा नियमित मर्ग सूचना (प्र.पी-16) और नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-17) दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचों को नोटिस (प्र.पी-18) दिया और मृतक के शव का पंचनामा (प्र.पी-11) तैयार किया। शव की शिनाख्त (प्र.पी-10) के दौरान मृतक की पहचान दौलत सिंह ध्रुव, आत्मज लातेल सिंह ध्रुव के रूप में हुई। डॉ. विकास कुमार ध्रुव (अ.सा-5) ने पोस्टमार्टम (प्र.पी-8 और पी-9) की रिपार्ट प्रस्तुतु किया और पाया कि मृत्यु शरीर पर लगी कई चोटों के कारण हुए शॉक और रक्तस्राव से हुई थी, तथा मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। अन्वेषण के दौरान अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया और साक्ष्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका मेमोरेंडम कथन (प्र.पी-12) दर्ज किया गया। अपीलार्थी के बताए अनुसार, एक लकड़ी का बट्टा, खून और मिट्टी से सनी सफेद रंग जैसी शर्ट, खून के धब्बों वाला सफेद स्वेटर, बैंगनी रंग की फुल-पेंट और खून के धब्बों वाली एक पुरानी काली एवन साइकिल जब्त (प्र.पी-13) की गई।घटनास्थल से सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी (प्र.पी-22) जब्त की गई और पटवारी तथा अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटना स्थल के नक्शे (प्र.पी-4 और प्र.पी-21) तैयार किए गए। जब्त सामग्रियों को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जहाँ से मामला सत्र न्यायालय, रायपुर को सुपुर्द किया गया। अंततः इसे नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को स्थानांतरित किया गया, जिन्होंने विचारण संपन्न कर अपीलार्थी को पूर्वोक्त अनुसार सिद्धदोष पाया गया और दंडित किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के. केशरवानी ने तर्क दिया कि जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) चसमदीध नहीं हैं। उन्होंने घटना को नहीं देखा था। उन्होंने अपीलार्थी की पहचान भी नहीं की थी । अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी की एक शिनाख्त परेड आयोजित की गई थी, लेकिन परेड आयोजित करने से पहले ही अपीलार्थी को जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) को दिखा दिया गया था। इसलिए, शिनाख्त परेड का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। अनिताबाई (अ.सा-12) के साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया गया दोष सिद्ध करने योग्य नहीं है । 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति युक्तियुक्त संदेह से परे नहीं है । अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि बट्टा

अपीलार्थी के बताए अनुसार बरामद नहीं किया गया था । इसलिए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि का निष्कर्ष टिकाऊ नहीं है और अपीलार्थी दोषमुक्ति का हकदार है।

4. राज्य/प्रत्यार्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण क्रमांक 147/2006 के अभिलेख का अवलोकन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) के साक्ष्य, अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन और उसकी निशानदेही पर बट्टा, साइकिल तथा अपीलार्थी के कपड़ों की बरामदगी पर आधारित है, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में रक्त से सने हुए पाए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के कंडिका 16 में यह अभिनिर्धारित किया कि जय श्री मिश्रा (अ.सा-1) एक विश्वसनीय साक्षी हैं । उन्होंने 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति और अपीलार्थी से लेखों की बरामदगी पर भी अविलंब लिया।

7. जय श्री मिश्रा (अ.सा-1) ने अपने बयान में कहा कि महोबा बाज़ार में उनका एक होटल है। उनके ससुर तथा पुत्र उस होटल में कार्य करते थे। जब उनके ससुर ने उन्हें बुलाया, तब वे बाहर आईं और देखा कि अपीलार्थी एक साइकिल सवार के साथ मारपीट कर रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि अपीलार्थी के पास एक *बट्टा* था और उसने उसी बट्टे से साइकिल सवार के

सिर पर प्रहार किया, जिससे साइकिल सवार गिर पड़ा। जब उन्होंने "पकड़ो-पकड़ो" चिल्लाया, तब अपीलार्थी अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भाग गया।

8. जय श्री मिश्रा (अ.सा-1) ने आगे अपने बयान में कहा कि तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी की पहचान परेड कराई गई थी (प्र.पी-3)। उस पहचान परेड में उन्होंने अपीलार्थी की पहचान की। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने घटना-स्थल पर अपीलार्थी को लगभग 10-15 फीट की दूरी से देखा था।

9. अब हम यह परीक्षण करेंगे कि तहसीलदार द्वारा कराई गई अपीलार्थी की पहचान परेड विश्वसनीय है या नहीं?

10. यह सत्य है कि परीक्षण पहचान परेड स्वयं में कोई ठोस साक्ष्य नहीं होती, बल्कि इसका हेतुक केवल जाँच की दिशा को आगे बढ़ाना होता है। न्यायालय में गवाह द्वारा दिया गया कथन ही वास्तविक ठोस साक्ष्य होता है; तथापि, सावधानीवश पहचान परेड इसलिए कराई जाती है ताकि उस गवाह के कथन की पुष्टि की जा सके, जिसने अभियुक्त को पूर्व से नहीं जाना हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान प्रकरण में परीक्षण पहचान परेड तहसीलदार द्वारा कराई गई। ओ.पी. कोसरिया (अ.सा-4) ने बयान दिया कि अगस्त, 2005 में वे अतिरिक्त तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, माना कैंप में पदस्थ थे। उन्होंने अपराध क्रमांक 174/2005, जो कि थाना आमानाका में 24-12-2005 को दर्ज हुआ था, के संबंध में न्यायालय परिसर में पहचान परेड कराई, जिसमें जय श्री मिश्रा (अ.सा-1) ने अभियुक्त/अपीलार्थी की पहचान की। उन्होंने यह भी कहा कि तहसीलदार द्वारा आयोजित पहचान परेड में उन्होंने अपीलार्थी की पहचान की थी।

12. जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) ने गवाही दी कि पुलिस द्वारा अपीलार्थी को उनके सामने लाया गया था और पुलिस ने उनसे पूछा था कि क्या उनके सामने मौजूद व्यक्ति ही हमलावर था? उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान हमलावर/अपीलार्थी के रूप में की थी। प्रति परीक्षण के दौरान, पैराग्राफ 10 में, उन्होंने विशेष रूप से यह बयान दिया कि पुलिस ने अपीलार्थी की शिनाख्त परेड थाने में आयोजित की थी।

13. जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) के साक्ष्य को देखने पर यह पूरी तरह स्पष्ट है कि शिनाख्त परेड आयोजित करने से पहले अपीलार्थी को उन्हें दिखाया गया था । उन्होंने शिनाख्त परेड से पहले अपीलार्थी को 2-3 बार देखा था । इसलिए, शिनाख्त परेड की कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है और इसे अपीलार्थी की दोषसिद्धि के समर्थन में नहीं लिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) ने गवाही दी कि उनके ससुर होटल में मौजूद थे और उन्होंने ही उन्हें बुलाया था । वह कमरे से बाहर आई थीं और उन्होंने देखा था कि अपीलार्थी मृतक के साथ मारपीट कर रहा था । मर्ग सूचना (प्र.पी-16) और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-17) जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) द्वारा दर्ज कराई गई थी । प्रदर्श पी-16 और पी-17 में यह उल्लेख नहीं है कि जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) हमलावर की पहचान करेंगी । जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) ने स्वीकार किया कि यह सच है कि वह घटना से पहले अपीलार्थी को नहीं जानती थीं । यह भी सच है कि घटना के समय वातावरण में अंधेरा था । यह भी सच है कि झगड़ा उनके होटल से 10-15 फीट की दूरी पर हो रहा था और वह कमरे के अंदर थीं । उन्होंने आगे गवाही दी कि जब उनके ससुर चिल्लाए, तब वह बाहर आईं । प्रतिपरीक्षण के दौरान, कंडिका 10 में, उन्होंने बयान दिया कि जब अपीलार्थी भाग रहा था, तब उन्होंने उसकी पीठ

देखी थी । वह उसका चेहरा नहीं देख सकी थीं । उन्होंने आगे बताया कि पुलिस रात में अपीलार्थी को उनके घर ले आई थी और उन्हें दिखाया था । उन्होंने पैराग्राफ 13 में आगे गवाही दी कि उन्होंने हमलावर को मृतक के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखा था । उन्होंने केवल हमलावर को भागते हुए देखा था । यह सच है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने भागते हुए देखा था, उसे किसी भी व्यक्ति ने नहीं पकड़ा था।

15. जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) के साक्ष्य को देखते हुए, हम पाते हैं कि उन्होंने अपीलार्थी को नहीं देखा था । उन्होंने अपीलार्थी की पहचान भी नहीं की थी । उन्होंने पुलिस द्वारा लाए जाने पर ही अपीलार्थी की पहचान की थी । इसलिए, जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) के साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता है कि उन्होंने हमलावर की पहचान की थी और वह अपीलार्थी ही था जिसने मृतक पर हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) के अनुसार, उनके ससुर भी होटल में मौजूद थे । वह अपने ससुर द्वारा बुलाए जाने पर ही कमरे से बाहर आई थीं । इसलिए, जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) के ससुर अभियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण साक्षी थे, जिन्होंने घटना को सबसे पहले देखा था, लेकिन अभियोजन ने उनका परीक्षण नहीं किया, जो अभियोजन के मामले के लिए घातक है । अतः, अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल जयश्री मिश्रा (अ.सा-1) की गवाही के आधार पर नहीं की जा सकती।

17. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगला समूह 'अंतिम बार साथ देखे जाने' से संबंधित है । इस संबंध में, अभियोजन ने श्रीमती अनिताबाई (अ.सा-12) का परीक्षण किया है।

18. श्रीमती अनिताबाई (अ.सा-12) ने गवाही दी कि दौलत सिंह (मृतक) उनके जीजा थे । मृतक उन्हीं के घर में रह रहा था । 22-12-2005 को, लगभग शाम 4 बजे, अपीलार्थी मृतक को बुलाने के लिए उनके घर आया था । अपीलार्थी और मृतक अलग-अलग साइकिलों पर एक साथ बाहर गए थे । उन्होंने मृतक से पूछा था कि वह कहाँ जा रहा है? मृतक ने उन्हें उत्तर दिया था कि वह पास के इलाके में जा रहा है । प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि अपीलार्थी मृतक को लगभग शाम 4 बजे ले गया था, लेकिन उनके केस डायरी कथन (प्र.डी-2) में अपीलार्थी के नाम का उल्लेख नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जहाँ तक 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के साक्ष्य का संबंध है, अभियोजन ने केवल एक साक्षी, यानी अनिताबाई (अ.सा-12) का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, लेकिन उनका साक्ष्य ठोस नहीं है । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह गवाही नहीं दी कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी की संगति में देखा गया था । अन्य किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि घटना वाले दिन उन्होंने अपीलार्थी और मृतक को एक साथ जाते हुए देखा था।

20. यदि एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि अपीलार्थी और मृतक अनिताबाई (अ.सा-12) के घर से एक साथ निकले थे, तो अनिताबाई (अ.सा-12) के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी और मृतक लगभग शाम 4 बजे बाहर गए थे, जबकि घटना लगभग शाम 7 बजे हुई थी । 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत तब लागू होता है जब उस समय के बीच का अंतराल, जब अपीलार्थी और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था, इतना कम हो कि अपीलार्थी के

अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना असंभव हो जाए । वर्तमान मामले में, 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति ठोस साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं होती है । इसलिए, यह निष्कर्ष निकालने के लिए किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में कि अपीलार्थी और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, अपीलार्थी को दोषी मानना जोखिम भरा होगा । अतः, अवलंब लिया गया'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति अपीलार्थी के विरुद्ध शायद ही दोषारोपण योग्य होगी।

21. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी से जब्त की गई वस्तुओं—**C**-बट्टा, **D**-साइकिल, **E**-बट्टा, **F**-शर्ट, **G**-स्वेटर, **H**-फुल-पेंट और **I**-साइकिल—पर पाए गए खून के धब्बों के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. योगेंद्र वर्मा (अ.सा-6) ने गवाही दी कि वे पुलिस के साथ अपीलार्थी के घर गए थे । अपीलार्थी अपने घर में सोता हुआ पाया गया था । उन्होंने आगे गवाही दी कि पुलिस ने अपीलार्थी को जगाने के बाद उसे थाना आमानाका लाया । इसके बाद, अपीलार्थी से बट्टा, साइकिल और कपड़े जब्त किए गए । लच्छीराम ध्रुव (अ.सा-11) ने भी इसी प्रकार गवाही दी।

23. योगेंद्र वर्मा (अ.सा-6), लच्छीराम ध्रुव (अ.सा-11) और अन्वेषण अधिकारी भूषण एक्का (अ.सा-14) के साक्ष्यों को देखने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी से साइकिल, बट्टा और कपड़े जब्त किए गए थे । भूषण एक्का (अ.सा-14) ने गवाही दी कि जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल., रायपुर भेजा गया था। अभियोजन पक्ष ने एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी-26) पेश की है । एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श **P**-26) के अनुसार, बट्टा (आर्टिकल **C** और **E**), साइकिल (आर्टिकल **D** और **I**), शर्ट (आर्टिकल **F**), स्वेटर (आर्टिकल **G**) और फुल-पेंट (आर्टिकल

H) पर रक्त पाया गया था। यह सही है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी-26) में यह उल्लेख नहीं है कि लेखों पर पाया गया रक्त मानव मूल का था या नहीं, और उसका ग्रुप क्या था । केवल रक्त के धब्बे मिलना, जब तक कि रक्त का समूह मृतक के रक्त समूह के समान न पाया जाए, अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, ज्ञापन कथन तथा साइकिल, बट्टा एवं कपड़ों की बरामदगी जैसी एकमात्र परिस्थितियाँ अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए विश्वसनीय एवं निर्णायक आधार नहीं बन सकतीं।

24. हमने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। हमारे विचार से माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने केवल जय श्री मिश्रा (अ.सा-1) के एकमात्र साक्ष्य तथा 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति, मेमोरेंडम कथन और जब्त आर्टिकल्स की बरामदगी पर आधारित होकर विधि में त्रुटि कारित की है। हमारा मत है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती तथा वह संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश आपस्त किए जाते हैं तथा उसे संदेह का लाभ देते हुए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

(हस्ताक्षर) **(हस्ताक्षर)**

सुनील कुमार सिन्हा **आर.एस. शर्मा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

2012:CGHC:8769-DB

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur